(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 47 / 2018

बउनवान

हंसराज आयु 79 वर्ष पुत्र बद्रीलाल गालव ब्राह्मण निवासी केशोली तहसील छबडा जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारां
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री ओम प्रकाश मेहता ाा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 19.08.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 391 / 2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 7.11.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम केशोली की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 230 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 25 / – रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 6.3.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण माह मार्च वर्ष 2018 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, छबडा से मूल पत्रावली 08 बार तलब किये जाने के बाद भी प्राप्त नही होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.11.2017 विधि विरूद्व एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये गये, एकतरफा आदेश पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कोई तहकीकात नही की गई न आसपास वाले व्यक्तियो के बयानात लिये गये मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 7.11.2017 को पारित करते समय अपने स्वविवेक का इस्तेमाल नही किया गया है केवल छपे हुये परफोर्मा पर साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी प्रकार से सपेसिफिकि निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। क्योकि इसमे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वविवेक का इस्तेमाल नही किया गया है केवल छपे हुये परफोर्मा मे नाम व पते भरकार उक्त निर्णय पारित किया गया है इस कारण उक्त निर्णय विधि मान्य नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ग्राम केशोली मे नही रहकर लगभग 2 वर्ष से कोटा निवास कर रहा है फिर भी हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से अपीलांट का कब्जा बताकर रिपोर्ट की गई व इसकी सूचना अपीलांट को नही हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया गया है जो अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना साक्ष्य लिये पारित किया गया है जो सर्वथा विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब उसके पडोसियो ने दूरभाष पर सूचित किया, इसके बाद आवेदन पेश कर दिनांक 18.2.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2073 मे भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से 8 बार मूल पत्रावली तलब किये जाने के उपरांत भी इस न्यायालय मे नही भिजवाया जाना अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटी होना पाया जाता है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा 2 वर्ष से अपीलांट के कोटा मे रहने का उल्लेख किया गया है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 391/2017 में पारित आदेश दिनांक 7.11.2017 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा 7 दिवस मे आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की जॉच करावे कि

अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम केशोली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 230 की रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 391/2017 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 7.11.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.11.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: